

निम्नलिखित कर्मचारियों को अन्तर-रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण पर सोनपुर मंडल के कर्मचारियों को विरमित करने हेतु निर्देशित किया जाता है-

01. मंत्र(का०)/सोनपुर के पत्र सं०-का/283/05/इंजी०/अम-अरे/निजी अनुरोध/सोन/2020 दिनांक-10.08.2020 एवं मंत्र(का०)/समस्तीपुर पूर्व मध्य रेलवे का पत्र सं०-का/विविध/जविप्र/इ.एस.एस.पी.इ दिनांक-04.12.2020 के द्वारा श्री संतोष कुमार महतो, ट्रैकमेन्टेनर-IV वेतनमान 5200-20200+1800 जीपी लेवल-01 अधीन वसेई/पथ/कुर्सेला पूर्व मध्य रेल, सोनपुर मंडल का अंतर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण तलीय वरीयता पर दोनों मंडल की सहमति प्राप्त है।

अतः श्री संतोष कुमार यादव, ट्रैकमेन्टेनर-IV अधीन वसेई/पथ/कुर्सेला को तत्काल प्रभाव से इस मंडल में सत्यापित पहचान के साथ विरमित कर भेजें, जिससे समस्तीपुर मंडल विरमित किया जा सके।

02. मंत्र(का०)/सोनपुर के पत्र सं०-का/283/05/इंजी०/अम-अरे/निजी अनुरोध/सोन/2020 दिनांक-10.08.2020 एवं मंत्र(का०)/समस्तीपुर पूर्व मध्य रेलवे का पत्र सं०-का/विविध/जविप्र/इ.एस.एस.पी.इ दिनांक-29.12.2020 के द्वारा श्री राज कुमार, खलासी वेतनमान 5200-20200+1800 जीपी लेवल-01 अधीन वसेई/कार्य/सोनपुर, पूर्व मध्य रेल, सोनपुर मंडल का अंतर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण तलीय वरीयता पर दोनों मंडल की सहमति प्राप्त है।

अतः श्री राज कुमार, खलासी अधीन वसेई/कार्य/सोनपुर को तत्काल प्रभाव से इस मंडल में सत्यापित पहचान के साथ विरमित कर भेजें, जिससे समस्तीपुर मंडल विरमित किया जा सके।

03. मंत्र(का०)/सोनपुर के पत्र सं०-का/283/05/इंजी०/अम-अरे/निजी अनुरोध/सोन/2020 दिनांक-10.08.2020 एवं मंत्र(का०)/नई दिल्ली, उत्तर रेलवे का पत्र सं०-NR-DLIOPERS(GENL)/300/2020 दिनांक-24.11.2020 के द्वारा श्री बेअन्त सिंह, ट्रैकमेन्टेनर-III (Reversion on TM-IV) वेतनमान 5200-20200+1800 जीपी लेवल-01 अधीन वसेई/पथ/थानाबिहपुर पूर्व मध्य रेल, सोनपुर मंडल का अंतर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण तलीय वरीयता पर दोनों मंडल की सहमति प्राप्त है।

अतः श्री बेअन्त सिंह, ट्रैकमेन्टेनर अधीन वसेई/पथ/थानाबिहपुर को तत्काल प्रभाव से इस मंडल में सत्यापित पहचान के साथ विरमित कर भेजें, जिससे समस्तीपुर मंडल विरमित किया जा सके।

उपरोक्त सोनपुर मंडल के कर्मचारियों को विरमित किये जाने पर वमई(समन्वय)/सोन० महोदय का आदेश प्राप्त है। निजी अनुरोध स्थानान्तरण पर निम्न शर्तों के अंतर्गत अनुमेय होगा।

01. उपरोक्त सोनपुर मंडल के कर्मचारियों को सत्यापित पहचान के साथ विरमित कर भेजें जिससे संबंधित मंडल को विरमित किया जा सके।
02. विरमन के समय कर्मचारी डीएआर/एस० पी० ई०/बिज० मामलों से मुक्त होना चाहिये।
03. नियमानुसार दोनों कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/स्थानान्तरण अवकाश देय नहीं होगा।
04. नियमानुसार कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानान्तरण नहीं लेंगे।
05. वरीयता पारस्परिक स्थानान्तरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

(रवि कुमार पंडित)

सकाधि-11

कृते मंत्र(का०)/सोनपुर
दिनांक-10.05.2021

सं०-का/283/05/इंजी०/अम-अरे/निजी अनुरोध/सोन/2020
प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. दमई(समन्वय) एवं वमविप्र/सोनपुर।
02. मंत्र(कार्मिक)/पूरमे/समस्तीपुर, उत्तर रेलवे-नई दिल्ली
03. समई/थानाबिहपुर, समई(भूमि)/सोनपुर -उपरोक्त सोनपुर मंडल के कर्मचारी को सत्यापित पहचान के साथ इस कार्यालय में विरमित करें, ताकि संबंधित मंडल में विरमित किया जा सके।
विरमित करने से पूर्व कर्मचारी डीएआर/एसपीई/विज० की सजा से मुक्त होना चाहिए।
04. वसेई/पथ/कुर्सेला, वसेई/पथ/थानाबिहपुर, वसेई/कार्य/सोनपुर।
05. कर्मचारी प्रति। 06. अभिलेख प्रति।
07. मंडल मंत्री-ईसीआरकेयु अजा-अजजा, ओबीसी ऐशो०/सोनपुर।

कृते मंत्र(का०)/सोनपुर